

३.४.१८

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर पक्षकार उपस्थित।

पत्रावली पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र २४ग२ पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र २४ग

उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिवादी की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर मुकदमा दाखिल किया है एवं मौके पर प्रश्नगत स्थल का स्वरूप परिवर्तन करने पर आमादा है। प्रतिवादी विवादित स्थल का स्थलीय निरीक्षण विद्वान अधिवक्ता आयुक्त से कराना चाहता है। अतः अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाये।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी विवादित स्थल का स्थलीय निरीक्षण विद्वान अधिवक्ता आयुक्त से कराना चाहता है। अतः अनुमति प्रदान करने का कथन किया है ऐसे में न्याय हित में प्रार्थना पत्र प्रतिवादी २४ग स्वीकार किया जाना तथा तथा अधिवक्ता आयुक्त सूची से क्रमानुसार अधिवक्ता आयुक्त हेतु रिट जारी हो। प्रतिवादी को आदेशित किया जाता है कि वह अधिवक्ता आयुक्त हेतु पैरवी नियमानुसार करे। पत्रावली दिनांक ०४.५.१८ को पेश हो।

सी०जे०जू०डि०,
भोगनीपुर, कानपुर देहात।